राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः प. 9 (65) आ.उ./सोलर/रा0कि0 पोर्टल/2021–22/229-82 दिनांकः–13.04.2022

उप निदेशक उद्यान– जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
समस्त सहायक निदेशक उद्यान– ....।

विषयः– सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र अनुदान हेतु आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रसंगः– उद्यान आयुक्तालय के पत्र क्रमांक प. 9 (65) आ.उ./सोलर/रा0कि0 पोर्टल/ 2021–22/60–97 दिनांक 11.04.2022 के क्रम में।

उद्यान विभाग द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन प्रारम्भ कर दी गई है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:–

1. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र हेतु पात्र व्यक्ति राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नम्बर के द्वारा ई–मित्र अथवा स्वयं के स्तर से आवेदन कर सकते हैं।
2. जिन कृषकों द्वारा पूर्व में ई–मित्र पर आवेदन किये गये थे तथा उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी नही की गई व उद्यान आयुक्तालय के प्रासांगिक पत्र की अनुपालना में लम्बित सूची जिलों द्वारा प्रेषित की गई है इन कृषकों द्वारा भी राज किसान साथी पोर्टल पर पुनः आवेदन किया जाना आवश्यक है। इन कृषकों द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन का टोकन नम्बर व सूचना राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करते समय दर्ज करना आवश्यक है ताकि उनके आवेदन की वरियता ई–मित्र पर आवेदन की वरियता अनुसार सुरक्षित रह सकें।
3. जिलों द्वारा प्रचार– प्रसार कराकर पूर्व में ई–मित्र पर किये गये कृषकों के आवेदनों को उपरोक्तानुसार राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें, इसके लिये विभागीय कार्मिकों के साथ– साथ सौर ऊर्जा पम्प परियोजना में एम्पेनल्ड फर्म्स के कार्मिको का भी सहयोग लिया जावें।
4. जिलों को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी की जानी है। ई–मित्र पर आवेदन के टोकन नम्बर के अनुसार वरियता क्रम में आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही स्वीकृतियां जारी की जावें।
5. नवीन आवेदक अपना आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन करेंगें। नये आवेदन करने वाले कृषकों की वरियता पूर्व में ई–मित्र पर आवेदन कर चुके लम्बित आवेदनों के बाद मानी जावेगी।
6. किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(मेघराज सिंह रतनू)
आयुक्त उद्यानिकी,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प. 9 (65) आ.उ./सोलर/रा0कि0 पोर्टल/2021–22/ दिनांकः– .04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
2. खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान ....।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
4. सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता फर्म्स/कम्पनी ....।

(हीरेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान (मुख्या0)